संख्या-38 /2026/I/1473251/2026 /001-71-4099-1152-2021

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान,
नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-22.09.2026

विषयः- बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा में व्याप्त जल भवन एवं जल रिसाव तथा अन्य सिविल/विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण का कार्य कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0सी0एच0, नोएडा/निदे0/720/2026, दिनांक 22.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-49/2025/I/1186625/2025/001-71-4099/1152/2021, दिनांक-24.12.2025 द्वारा बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा में व्याप्त जल भराव एवं जल रिसाव तथा अन्य सिविल/विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण से सम्बन्धित प्रायोजना/आगणन (प्रस्तावित लागत रु0 2926.47 लाख) को व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत लागत रू0 2678.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू० 200.00 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा में व्याप्त जल भराव की समस्याओं के निराकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 300.00 लाख की सम्पूर्ण धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वितीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
4. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुसंगत शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

6. वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
7. शासनादेश संख्या-49/2025/I/1186625/2025/001-71-4099/1152/2021, दिनांक-24.12.2025 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031057000 सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 प्रयागराज।
6. निदेशक, मूल्यांकन एवं रचना प्रभाग, नियोजन विभाग, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
8. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
10. वित्त अधिकारी बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in